

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/134222/KPN/KANPUR NAGAR/3611/CF0

दिनांक : 15-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SKOMIYA ACADEMY** पता **1671 CANAL ROAD BOODHPUR. MACHARIYA NAUBSTA,BHOODHPUR,KANPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **4100 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2835** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SKOMIYA ACADEMY	3	0	10.65 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SKOMIYA ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **18-10-2024** को भवन स्वामी/ भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHIV KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-10-2024** से **18-10-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SKOMIYA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SKOMIYA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : The School is Operational Since long,Hence ,NOC is issued as per G.O dated 07.01.2022 & DGFS Circular on 14.03.24 for (G+2) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO Kidwai Nagar: 1.To Maintain All Fire Systems as per Norms in Operational mode Always. 2.To Maintain all Stairs and Electrical Safety Audit is Mandatory. 3.To Comply for Bye Laws, UP as per KDA or COMPETENT AUTHORITY & Drawing Approval is Essential from KDA or COMPETENT AUTHORITY. 4.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions or any deviation in norms of COMPETENT AUTHORITY or for any False Information or FSSO Report.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

D294717EEDD2F2586BB24BD5D6D9135AD528C0BF

18-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-10-2024

स्थान : KANPUR NAGAR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.